न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 494 सन 2020

अनवान :–

1. किशनलाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 05/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 14/16 के प0न0 343/370(38) किला न0 1/2 की 0.228 ,2/2 0. 227 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/.2530 ,22/0.2530 कुल 2.4790हैक्ट भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त वाद भूमि के प0न0334/370(38) किला न0 1/2 की 0.228 ,2/2 की 0.227 भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खाला दर्ज कर रखा है लेकिन नोहर फिडर नहर का निर्माण होने पर चकस्कीम रिवाईज होने पर सीऐडी विभाग के द्वारा उक्त खाला को निरस्त किया जाकर संशोधित चक स्कीम के अनुसार अन्यत्र खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिये प0न0 334/370(38) के किला न0 1/2 ,2/2 में मौके पर कोई खाला नही है वादी के कब्जा काश्त में है वादी ही काश्त करता आ रहा है।

सीऐडी विभाग के द्वारा चक स्कीम बदलने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व चक स्कीम के अनुसार गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर खाला नही है वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर से खाला दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायल अपने हकों की धोषणा करवाकर गै0मु0 खाला को बतौर खातेदार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की होती है।

वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन हेतु निवेदन किया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादी की वाद भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला की को कलमजन किया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाव पेश किया की वादी का वाद सिचाई विभाग से सम्बधित है सिचाई विभाग से रिपोर्ट ली जावे प्रतिवादी संख्या 2 ने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयापक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 14/16 के प0न0 343/370(38) किला न0 1/2 की 0.228 ,2/2 0.227 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/.2530 ,22/0.2530 कुल 2.4790हैक्ट भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त वाद भूमि के प0न0 334/370(38) किला न0 1/2 की 0.228 ,2/2 की 0.227 भूमि में राजस्व विभाग द्वारा खाला दर्ज कर रखा है लेकिन नोहर फिडर नहर का निर्माण होने पर चकस्कीम रिवाईज होने पर सीऐडी विभाग के द्वारा उक्त खाला को निरस्त किया जाकर संशोधित चक स्कीम के अनुसार अन्यत्र खाला स्वीकृत किया जा चुका है इसलिये प0न0 334/370(38) के किला न0 1/2 ,2/2 में मौके पर कोई खाला नही है वादी के कब्जा काश्त में है वादी ही काश्त करता आ रहा है।

सीऐडी विभाग के द्वारा चक स्कीम बदलने के उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में पूर्व चक स्कीम के अनुसार गैर मुमकिन खाला दर्ज कर रखा है जबकि मौके पर खाला नही है वादी की भूमि में अनाधिकृत तौर से खाला दर्ज रहने से सायल के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायल अपने हकों की घोषणा करवाकर गै0मु0 खाला को बतौर खातेदार अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है क्योकि खाला की भूमि सम्बधित काश्तकार की होती है।

अतः वाद वादी स्वीकार/डिक्री किया जाकर वादी की वाद भूमि में दर्ज गै0मु0 खाला की को कलमजन किया जाकर वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 14/16 के प0न0 343/370(38) किला न0 1/2 की 0.228 ,2/2 0.227 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,11/0.2530 ,12/0.2530 ,19/0.2530 ,20/0.2530 ,21/.2530 ,22/0.2530 कुल 2.4790हैक भूमि वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है

उक्त भूमि के प0न0 334/370(38) किला न0 1/2 ,2/2 में गैर मुमकिन खाला दर्ज है सायल का कथन है कि पूर्व सीऐडी चक स्कीम के अनुसार खाला दर्ज किया गया था सीऐडी चक स्कीम बदलने के कारण वर्तमान में उक्त भूमि में खाला नही है।

सिचाई विभाग के द्वारा वादी के कथनों के सम्बध में रिपोर्ट पेश की गई की रोही मौजा चक चक 7 केएनएन के प0न0 334/370 (38) के किला न0 1 ,2 में सिचाई विभाग के द्वारा किसी प्रकार का खाला स्वीकृत नही है संशोधित चक स्कीम में स्थानान्तरण हो चुका है

सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वादी की भूमि मे किसी प्रकार का खाला दर्ज नही है खाला दर्ज करना सिचाई विभाग का कार्य जब सिचाई विभाग ने खाला स्वीकृत ही नही तो वादी की भूमि में खाला दर्ज किया जाना न्यायोचित नही है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सिचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार वाद भूमि में खाला नही होने के कारण वादी का वाद काबिल डिक्री है

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एव सिचाई विभाग की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के 334/370(38) किला न0 1/2 ,2/2 में दर्ज खाला को कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की घोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. किशनलाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट साकिन चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 494 सन 2020 निर्णय दिनांक-05/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 केएनएन के 334/370(38) किला न0 1/2 ,2/2 में दर्ज खाला को कलमजन किया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने की धोषणा की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 5/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner